नाम - डॉ. प्रदीप कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर, शे. शा. कॉलेज, सासाराम।

विषय - राजनीति-शास्त्र

कक्षा - बी. ए. पार्ट-01 (प्रतिष्ठा)

पेपर - 01

दिनांक - 28.05.2020

**टॉपिक** - राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन के विचार — (भाग-01)

आदर्शवाद के प्रमुख चिंतक और विचारक के रूप में टी. एच. ग्रीन ने Principles of Political Obligations में राज्य के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण विचार दिये हैं जिसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

ग्रीन राज्य द्वारा ऐसे सद्प्रथाओं, कार्यों एवं साधनों की उपलब्धता और व्यवस्था की अपेक्षा रखता है जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक विकास को प्राप्त कर सके। वह नैतिकता को व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित एक ऐसी वस्तु बताता है जो स्वयं व्यक्ति द्वारा आत्मारोपित कर्तव्यों के निष्काम संपादन में ही निहित है।

वह राज्य की निरंकुशता का भी विरोधी है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति कानून द्वारा एवं बाह्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सीमित है। वह मनुष्य के आंतरिक प्रवृत्तियों को राज्य के कानून से बाहर मानता है।

Scanned with CamScanner

ग्रीन राज्य के नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों कार्यों का उल्लेख करते हैं। नकारात्मक रूप में राज्य उन बाधाओं को दूर करे जो मनुष्य के करने योग्य कार्यों में समस्या या बाधा उपस्थित करते हैं। सकारात्मक दृष्टि से वह राज्य को मनुष्य के नैतिकता के विकास की दृष्टि से हस्तक्षेप का अधिकार देता है। इस क्रम में वह स्वच्छता, शराबबंदी, बच्चों की शिक्षा के लिये राज्य के बलपूर्वक कार्य का समर्थक है। ग्रीन ने अपने व्यापक सामाजिक सुधारों की प्रवृत्ति द्वारा भी राज्य के कानूनों का समर्थन किया है। यह एक प्रकार से लोककल्याणकारी राज्य के भावी संरचना की नींव स्वरूप है।

ग्रीन ने व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विरोध का अधिकार प्रदान किया है क्योंकि वह राज्य को साध्य नहीं वरन् नैतिक एवं उत्तम जीवन की सिद्धि का साधन मानता है। यह विरोध का अधिकार वह विशेष परिस्थितियों में ही बताता है यद्यपि इस पर भी वह तीन प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख करता है प्रथम यह कि इससे अन्य अधिकार खतरे में न पड़े, द्वितीय यह कि यह विरोध समाज के अन्य लोगों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो तथा तृतीय यह कि विरोध के पूर्व सभी संवैधानिक साधनों के द्वारा परिवर्तन का प्रयास किया जाये। (शेष)